न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 55/2017

जगदीपसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी 1 के.के. तहसील पदमपुर मार्फत सरोज देवी पत्नी रामचन्द्र सोनी निवासी 78 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 1 के.के. तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 28.04.2017

उपस्थितिः—

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुभाष सहगल, अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 07.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 91 का पेश कर चक 1केके के मु.नं.4 के कि.नं. 19 से 21 की 0.417है0 भूमि में वादी के पक्ष में मु.नं. 4 के कि.नं. 19 की 0.063है0 एवं इसी भूमि से चिपती मु.नं. 20 की 0.197है0 कुल 0.260है0 भूमि जिसमें टयूबवैल लगा हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में मु.नं. 4 के कि.नं. 20 की 0.031है0 कुल 0.157है0 भूमि के विभाजन की डिक्री पारित की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 ने जबाब दावा पेश कर जबाब दावा की विशेष आपत्तियों में अंकित बिन्दुओं के अनुसार दावा खारिज करने का निवेदन किया।

7/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 28.04.2017 को वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पों. ने दिनांक 13.11.2017 को लिखित कथन पेश कर खाता सं. 44/48 का विभाजन किये जाने का निवेदन किया, जबकि वकील अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 53 का बंटवारा का दावा डिक्री किया जाकर फाइनल डिक्री हेतु बंटवारा प्रस्ताव मंगवाए है जबकि विवादित आराजी बाबत पंचाट निर्णय अनुसार ही बंटवारा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का क्रियात्मक अंश है कि वादी व प्रतिवादी के दावे, जबाबदावे, पक्ष व विपक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य व अन्तिम बहस के गहन मनन एवं पंचाट निर्णय की मूल भावना के अनुसार उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, दस्तावेजात एवं साक्ष्य से दोनों पक्षों द्वारा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन चाहा है जिसका निस्तारण तनकी अनुसार होने पर उक्त भूमि के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार पदमपुर तहसील पदमपुर के चक 1 केके कर जमाबन्दी सम्वत 2063–66 के खाता संख्या 44/38 के मु.नं. 4 के कि.नं. 19, 20, 21 की 0.417 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव 15 दिवस में न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति में कब्जानुसार पेश करें तथा पंचाट निर्णय के अनुसार टयूबवैल सांझा

7/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रहेगा। पाईपलाईन वादी की रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावे।

अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम की यथाः—

(1) आया वादगत चक 1केके की जमाबन्दी सम्वत 2063—66 के खाता सं. 44/48 के मु.नं. 4 के कि.नं. 19/0.063है0, 20/0.288, 21/0.126, कुल 0.417है0 मुश्तर्का खाता में वादी के नाम 0.260 है0 व प्रति. सं. 1 के नाम 0.157है0 भूमि दर्ज है। ——वादी

(2) आया परिवारिक विभाजन में चक 1 के के का मु.नं. 4 के कि.नं. 19/0.063, 20/0.197है0 कुल 0.260है0 भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है इसी अनुसार विभाजन की डिक्री वादी पाने का अधिकारी है। ——वादी

(3) आया मु.नं. 4 कि.नं. 21/0.126है0 व इससे चिपती कि.नं. 20/0.031है0 कुल 0.157है0 पर प्रति. सं. 1 का कब्जा है। ——वादी

(4) आया मु.नं. 4 के कि.नं. 19/0.063है0 व उससे चिपता कि.नं. 20/0.197 है0 में वादी का टयूबवैल लगा है जो वादी अपने पक्ष में भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। —— वादी

(5) आया वादी अच्छी व बुरी भूमि के हिसाब से विभाजन डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है, मु.नं. 4 के कि.नं. 19—20 में लगा टयुबवैल सांझा है जिसका कनैक्शन पिता के नाम है, दुकान भी सांझी है तथा पानी ले जाने के पाईप भी सांझे है दावा वादी निरस्तनीय है। ——प्रतिवादी

उपरोक्त तनकियात में तनकी सं. 1 से 4 वादी(रेस्पो. द्वारा) साबित की जानी थी तथा तनकी सं. 5 प्रतिवादी (अपीलांट द्वारा) साबित की जानी थी, जिस पर साक्ष्य संग्रहित होकर तनकीवार विनिश्चय हुआ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 की पालना में की गई है, साथ ही अपील मीमों में जिस पंचाट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश की अपील की गई है वह अधी. न्यायालय में परीक्षित होकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex-1A के रूप में उपलब्ध है जिसका विवेचन अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया है, साथ ही अपील मीमों की आपत्तियां का विकल्प फाइनल डिक्री में खुला है तथा रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

41 नियम 22 की भी legal remedy फाइनल डिक्री में उपलब्ध होने से उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय फाइनल डिक्री में उठाई विधिक आपत्तियों का निस्तारण कर गुणावगुण के आधार पर फाइनल डिक्री जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर